

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (म0प्र0)

फोन नं-07782-299180 ई-मेल dcourtmar-mp@nic.in

// वाहन नीलामी विज्ञप्ति //

क्रमांक-412/तीन-9-8/12

नरसिंहपुर, दिनांक-11/5/26

सर्वसाधारण को उक्त वाहन की नीलामी विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर स्थित अनुपयोगी शासकीय वाहन क्रमांक एम.पी.-02-एच.सी.-0257 (टाटा इंडिगो-2012) वाहन जहाँ है जैसी स्थिति में है, को निष्प्रयोजित राशि रुपये 1,05,000/- (एक लाख पांच हजार) मात्र में **दिनांक 02/05/26 को प्रातः 11:00 बजे खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना है।** उक्त नीलामी में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम से देय राशि रुपये 2500/- का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा कर भाग लिया जा सकता है।

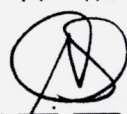
वाहन का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

- 1- TATA INDIGO CSGLS(Petrol)
- 2- RTO REG. NO. MP-02-HC-0257
- 3- Chasis No-MAT601632CWK41829
- 4- Engine no.475SI72KXYP61802
- 5- Year manuf. 2012
- 6- Regis. Date-08-01-2013
- 7- CC-1193
- 8-Readingh 46291 K.M. Date 16-05-2025

नीलामी हेतु निविदा की शर्तें निम्नानुसार है:-

1. शासकीय वाहन क्रमांक एम.पी.-02-एच.सी.-0257 (टाटा इंडिगो-2012) पेट्रोल कार का न्यूनतम ऑफसेट मूल्य रुपये 1,05,000/- (एक लाख पांच हजार) शासकीय बोली नियत है।
2. उक्त अनुपयोगी/अपलेखित शासकीय वाहन की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु अमानत राशि रुपये 2500/- (दो हजार पांच सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के नाम से देय, सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।
3. अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी की समाप्ति पर, असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा लगायी गई बोली/स्वीकृत की गई पूरी राशि जमा करने के पश्चात् लौटाया जावेगा।

4. किसी भी बोली को बिना कारण बताये, पूर्ण रूप से स्वीकार करने/अस्वीकार करने /आंशिक रूप से स्वीकार करने/निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार सर्वथा "विभागीय नीलाम समिति" कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर को प्राप्त होगा।
5. नीलामी के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।
6. अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् अनुपयोगी शासकीय वाहन क्रेता को प्रदान किया जावेगा।
7. अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 07 दिवस के अंदर बोली की संपूर्ण राशि बैंक ड्राफ्ट जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर के नाम देय हो, /मध्यप्रदेश कोषालय की वेबसाईट सायबर ट्रेजरी में मद 0070-60-800-0000 अन्य प्राप्तियां के माध्यम से जमा करवाकर वाहन का स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।
8. संबंधित वाहन भौतिक निरीक्षण हेतु नवीन न्यायालय भवन परिसर नरसिंहपुर में उपलब्ध है इस हेतु जिला नाजिर/नायब नाजिर से कार्यालयीन दिनांक/समय में संपर्क किया जा सकता है।
9. बोलीकर्ता द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर वाहन को क़य करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में नीलामी संबंधी शर्तें स्वीकार कर ली गई है, ऐसा माना जावेगा।
10. अनुपयोगी शासकीय वाहन विक्रय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने पर उक्त शासकीय वाहन का नियमानुसार शासकीय पंजीयन विलोपित करने एवं क्रेता के नाम पंजीयन एवं बीमा कराये जाने की संपूर्ण जवाबदारी क्रेता की ही होगी।
11. वाहन क्रमांक, चेचिस नंबर, इंजिन नंबर का मिलान निविदाकार को नीलामी स्थान पर ही करना होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति क़य संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत मान्य नहीं की जावेगी।
12. उपरोक्त नियमों की शर्तों का शिथिलिकरण स्थापना पर गठित विभागीय नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नरसिंहपुर (म.प्र.)